



2026:AHC:3732

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका (पीआईएल) संख्या - 2667, वर्ष 2025

रवीन्द्र कुमार

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : कपिल देव दुबे, प्रतीकधर दविवेदी, राहुल कुमार
प्रतिवादी (यों) के अधिवक्ता : सी.एस.सी., कौशल किशोर मणि, महेंद्र कुमार शर्मा

न्यायालय संख्या.- 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश कुमार तिवारी, राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री महेंद्र कुमार शर्मा, निजी प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता और भूमि प्रबंधन समिति के विद्वान अधिवक्ता श्री कौशल किशोर मणि को सुना गया।

2. यह जनहित याचिका निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई है:-

“A. परमादेश की प्रकृति का एक रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रतिवादी अधिकारियों को यह आदेश और निर्देश दिया जाए कि वे याचिकाकर्ता की शिकायतों का निपटारा करें और व्यापक जनहित में वर्तमान याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर निर्णय लें; तथा प्रतिवादी अधिकारियों को यह निर्देश दिया जाए कि वे खसरा (गाटा) संख्या 291 में प्रतिवादी संख्या 05 द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण को एक समय-सीमा के भीतर हटाएँ—यह खसरा (गाटा) संख्या 292 में स्थित मंदिर तक जाने का मार्ग है।”

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 5 गाँव के लोगों को उस मंदिर में जाने की अनुमति नहीं दे रहा है, जो भूखंड संख्या 292 में स्थित है। उन्होंने आगे यह भी निवेदन किया कि भूखंड संख्या 291 'बंजर' के रूप में दर्ज है और गाँव के लोग भूखंड संख्या 292 में स्थित मंदिर तक पहुँचने के लिए भूखंड संख्या 291 का उपयोग करते हैं। उन्होंने निवेदन किया कि संबंधित अधिकारियों को उचित

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



निर्देश जारी किए जाएँ, ताकि वे भूखंड संख्या 291 के संबंध में प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए आवश्यक कदम उठा सकें।

4. प्रतिवादी संख्या 5 के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 5 के पक्ष में विधिवत पट्टा निष्पादित किया गया था और यह जनहित याचिका दुर्भावनापूर्ण इरादे से दायर की गई है; अतः इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने आगे यह भी निवेदन किया कि जब तक याचिकाकर्ता के पक्ष में निष्पादित पट्टे को रद्द नहीं कर दिया जाता, तब तक इस जनहित याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता।

5. राज्य-प्रतिवादी की ओर से विद्वान स्थायी वकील ने, इस जनहित याचिका में दायर जवाबी हलफनामे के आधार पर, यह निवेदन किया कि भूमि प्रबंधन समिति द्वारा दिनांक 15.9.2002 को एक उचित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसे उप-विभागीय अधिकारी, कैराना, शामली द्वारा दिनांक 30.06.2003 को अनुमोदित कर दिया गया था। उन्होंने आगे यह भी निवेदन किया कि श्रीचंद पुत्र आश्रम और देवी पुत्र झंडू के पक्ष में आवासीय आवंटन किया गया था। उन्होंने आगे यह भी निवेदन किया कि जगदीश पुत्र बल्ला और ओम प्रकाश पुत्र बल्ला के पक्ष में भी आवासीय प्रयोजन हेतु आवंटन किया गया था। उन्होंने यह निवेदन किया कि जब तक पट्टाधारक के पक्ष में निष्पादित पट्टे को विधि के अनुसार रद्द नहीं कर दिया जाता, तब तक संबंधित भूखंड से अतिक्रमण हटाने के लिए प्राधिकारी द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि भूखंड संख्या 291 का संपूर्ण क्षेत्र निजी प्रतिवादी को आवंटित नहीं किया गया है; अतः, प्रस्तुत जनहित याचिका में की गई प्रार्थना को स्वीकार किया जाना चाहिए।

7. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है और अभिलेख का अवलोकन किया है।

8. इस तथ्य को लेकर भी कोई विवाद नहीं है कि राजस्व अभिलेखों में भूखंड संख्या 292 मंदिर के रूप में और भूखंड संख्या 291 बंजर के रूप में दर्ज है।

9. यह बताना ज़रूरी है कि भूमि प्रबंधन समिति ने निजी प्रतिवादी और अन्य लोगों को रहने के उद्देश्य से पट्टे आवंटित किए थे, जिन्हें उप-विभागीय अधिकारी ने मंजूरी दी थी। इसलिए, जब तक कानून के अनुसार पट्टा रद्द नहीं कर दिया जाता, तब तक उस भूखंड से अतिक्रमण हटाने के लिए जनहित याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता, जो कानून के अनुसार पट्टाधारक को आवंटित किया गया था।

10. राज्य द्वारा दायर जवाबी हलफनामे के पैराग्राफ संख्या 3 और 4 अवलोकन हेतु प्रासंगिक होंगे, जो इस प्रकार हैं:-

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



3. यह कि याचिका में कही गई बातों का पैरा-वार जवाब देने से पहले, यह निवेदन किया जाता है कि ग्राम सिंगरा, परगना बिडोली, तहसील कैराना, जिला शामली की वर्तमान खतौनी में, खसरा संख्या **292** की **0.0200** हेक्टेयर ज़मीन को श्रेणी **6(2)** के अंतर्गत "मंदिर" के रूप में दर्ज किया गया है। मौके पर, खसरा संख्या **292** में "ग्राम देवता" (भूमियाज) स्थित हैं। ज़मीन के नक्शे में, खसरा संख्या **292** (क्षेत्रफल **0.0200** हेक्टेयर) में स्थित मंदिर तक पहुँचने के लिए कोई रास्ता अंकित नहीं है। मौके पर, गाँव वाले खसरा संख्या **293** की निजी ज़मीन से होकर गुज़रने वाली एक कच्ची सड़क के रास्ते, उक्त ग्राम देवता के दर्शन के लिए जाते हैं।

4. यह कि, गाँव सिंगरा की वर्तमान खतौनी में, खसरा संख्या **290** (क्षेत्रफल **0.0410** हेक्टेयर) को 'आबादी' के रूप में दर्ज किया गया है और खसरा संख्या **291** (क्षेत्रफल **0.0510** हेक्टेयर) को 'बंजर' के रूप में दर्ज किया गया है। मौके पर, खसरा संख्या **290** और **291** में, विपक्षी पक्ष संख्या **5** ओमप्रकाश (पुत्र बल्लिया) और अन्य ग्रामीणों की आबादी (बस्तियाँ) बनी हुई हैं। खसरा संख्या **291** (क्षेत्रफल **0.0510** हेक्टेयर, बंजर) के संबंध में, भूमि प्रबंधन समिति के दिनांक **15.09.2002** के प्रस्ताव पर—जिसे उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, कैराना ने दिनांक **30.06.2003** को अनुमोदित किया था—श्रीचंद (पुत्र आस्तराम) और देवी (पुत्र झंडू) के पक्ष में आवासीय आवंटन किया गया था; और भूमि प्रबंधन समिति के दिनांक **27.02.2003** के प्रस्ताव के आधार पर—जिसे उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, कैराना ने दिनांक **28.02.2003** को अनुमोदित किया था—जगदीश (पुत्र बल्ला) और ओम प्रकाश (पुत्र बल्ला) के पक्ष में आवासीय आवंटन किया गया था। इस प्रकार, उक्त खसरा संख्या **291** (बंजर) से संबंधित आवासीय आवंटन कुल चार व्यक्तियों को किया गया था। मौके पर, खसरा संख्या **291** (बंजर) में आबादी मौजूद है। याचिकाकर्ता चाहता है कि खसरा संख्या **291** पर आवंटित व्यक्तियों की आबादी को हटा दिया जाए और 'ग्राम देवता' (भूमिया) तक पहुँचने के लिए एक रास्ता उपलब्ध कराया जाए। राजस्व अभिलेखों के अनुसार, खसरा संख्या **291** (बंजर) से होकर कोई रास्ता/मार्ग नहीं गुजरता है।

इस माननीय न्यायालय के सादर अवलोकनार्थ, खतौनियों के उद्धरण की प्रति इसके साथ संलग्न की जा रही है और इस शपथ-पत्र में इसे अनुलग्नक संख्या सीए-1 के रूप में चिह्नित किया गया है।

11. मामले के समस्त तथ्यों और परिस्थितियों के साथ-साथ, ऊपर दिए गए निर्देशों में उल्लिखित तथ्यों पर विचार करते हुए, इस मामले में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है; अतः, प्रस्तुत जनहित याचिका को तदनुसार खारिज किया जाता है।



(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

5 जनवरी 2026

पासी*

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"